न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

सुनवाई का अधिकार द्वितीय अपील संख्या 04 / 2020

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्री गंगाधर सोलंकी, निवासी– 10–ए, अशोक नगर चितौडगढ		1.अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर प्रशासन जालोर 2.उपखण्ड अधिकारी, आहोर, जालोर 3.जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपील राजस्थान सुनवाई का अधिकार, 2012 की धारा 06 के तहत जो कि जिला कलेक्टर जालोर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.09.2020 से व्यथित होकर पेश की गई है।

निर्णय

दिनांक अक्टूबर,2021

1. अपीलान्ट की ओर से राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2021 के प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रथम अपील संख्या 02 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 23.10.2020 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

2. उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जिला कलेक्टर जालोर से इस सम्बन्ध में उनकी निर्णित मूल पत्रावली एवं टिप्पणी तलब कर टिप्पणी प्राप्त की गई तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. अपीलान्ट ने प्रस्तुत द्वितीय अपील श्री जोगेश्वर गर्ग तत0 विधायक महोदय को जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 27.10.1998 की जॉच से सम्बन्धित है। द्वितीय अपील में श्री जोगेश्वर गर्ग, तत0 विधायक महोदय पूर्व में उनके द्वारा किये गये पत्राचार, प्रथम अपील बाबत की गई कार्यवाही इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

4. अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील में श्री जोगेश्वर गर्ग के जाति पत्र की जॉच कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये परिवाद को नियत समय सीमा में निस्तारण नहीं करने पर जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष पेश की गई थी। श्री गर्ग के

जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 27.10.98 जारी किया जिसमें गरूडा जाति अंकित है। जाति प्रमाण पत्र बनाते समय जो आधार दस्तावेज पेश किये गये वे गर्ग से प्राप्त करने का निवेदन किया परन्तु उपखण्ड अधिकारी के द्वारा कोई जॉच नहीं कराई। इसके अतिरिक्त श्री गर्ग के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी जालोर से दिनांक 14.11.18 के समक्ष नाम निर्देशन पत्र में जाति गरोडा अंकित की है जबकि जाति प्रमाण पत्र में गरूडा अंकित की है जो गरूडा जाति संविधान की अनुसूचि 27 में अंकित जातियों अनुसार यथा गुरो, गरूड, गुर्डा, गरोडा से भिन्न है। फिर किस आधार पर गरोडा का जाति का परिवर्तन करवाया जबकि श्री गर्ग की जाति कौम गर्ग ही है। जिसका उल्लेख उनकी राजस्व जमाबन्दी में हो रखा है। इसकी भी कोई जॉच नहीं कराई गई।

5. इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी जालोर ने ऑनलाईन जो नया जाति प्रमाण पत्र दिनांक 14.11.18 को जारी किया उसमें क्या–क्या दस्तावेज संलग्न कराये उनकी भी जॉच नहीं कराई गई। उक्त राजस्व जमाबन्दी से गरूडा जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार आहोर व गरोडा जाति का प्रमाण उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा कैसे बनाया गया यह जॉच का विषय है। इसकी भी कोई जॉच नहीं कराई गई। श्री जोगेश्वर गर्ग के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये उक्त रजिस्टर्ड अभिलेख उनके द्वारा स्वप्रमाणित प्रति उनके मंगा कर पत्रावली पर लेने की प्रार्थना की थी लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री गर्ग अनुसूचित, सामान्य या ओबिसी किस जाति के है, इस पर निर्णय प्रदान करावें और प्रथम अपील को स्वीकार करावें। अपीलान्ट के पूर्व में प्रस्तुत किये उपरोक्त विषयांकित परिवाद पर उपखण्ड अधिकारी आहोर को नियामों के परिप्रेक्ष्य में जॉच कर बाद जॉच पालना हेतु लिखा गया लेकिन समय समय पश्चात भी उपखण्ड अधिकारी आहोर व तहसीलदार आहोर अपने दायित्वों से बचने के लिये जाति प्रमाण पत्र की जॉच हेतु श्री गर्ग के दस्तावेज ढूढने की बात कर रहे है। इसके अतिरिक्त उनके प्रेषित पत्रों के क्रम में भी कोई सहायता नहीं की गई।

6. अन्त में अपीलान्ट ने यह निवेदन किया था कि श्री जोगेश्वर गर्ग के रिकार्ड में तीन जातिया दर्ज है। उनकी स्वयं की राजस्व जमाबन्दी में जाति कौम गर्ग अंकित है। उनके स्वयं की ईमेल आई इत्यादि, बैंक एकाउंट इत्यादि में गर्ग जाति अंकित है। मात्र निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र में श्री जोगेश्वर गर्ग तथा जाति

के कॉलम में गरूडा व गरोडा जातियां अंकित है। इन तीन जातियों में से श्री गर्ग किस जाति के है, यह दस्तावेजी सबूत से आपको निर्धारण करना है, यही जॉच का मूल विषय है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जावें।

7. अपीलान्ट की प्रथम अपील को जिला कलेक्टर जालोर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सुनवाई अधिकारी का जवाब तलब किया और लोक सुनवाई अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी जालोर/आहोर को सुनते हुए दिनांक 16.09.2020 को अपील का निस्तारण इस प्रकार से कर दिया कि लोक सुनवाई अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आहोर के द्वारा अपीलान्ट/परिवाद के प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समयावधि में सुनवाई करने के कारण अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत की है, विलम्ब के लिये उपखण्ड अधिकारी जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में लोक सुनवाई अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में व्यक्तिशः रूचि लेकर 15 दिन की समयावधि में सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट को राहत प्रदान करें।

8. अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर प्रथम अपील सुनवाई अधिकारी जिला कलेक्टर जालोर से उनकी अपील पत्रावली एवं अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई। जिसमें यह अवगत कराया गया कि प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी आहोर को परिवादी के परिवाद का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे जिस पर उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा अपने पत्रांक लो.सू.अ./2021/03 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार परिवादी के परिवाद की सुनवाई का जयि पत्रांक जनसुनवाई/20/526 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा परिवादी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्रेषित कर दी गई थी। ऐसे में अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार करने योग्य है।

9. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील, प्रथम अपील में चाहे गये अनुतोष, उनके प्रस्तुत परिवाद एवं जिला कलेक्टर जालोर प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपील में उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये उल्लेखित परिवाद यथा ''श्री जोगेश्वर गर्ग के जाति पत्र की जॉच कराने हेतु, को नियत समय सीमा में

निस्तारण नहीं करने पर जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रथम अपील एवं तत्पश्चात द्वितीय अपील पेश की गई है। प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.09.2020 में जो निर्देश परिवाद सुनवाई अधिकारी यानि उपखण्ड अधिकारी आहोर को दिये गये है वो हमारे विनम्र मत में उचित प्रतीत होते है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी आहोर को निर्देश दिये जाते है कि वे रिमाण्ड प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जारी निर्देश की पालना में अन्तिम निर्णय लिया जाकर निर्णय से परिवादी श्री गंगाधर सोलंकी को तथा इस कार्यालय को अवगत करावें। अपीलान्ट की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर